न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/43/2025	2025/110	27.05.2025	08.07.2025

1. उमरी पत्नी लल्लू जाति मेव निवासी मानकी तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. अंगूरी पत्नी रामकिशन जाति कुम्हार निवासी मानकी तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

——अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री कमल सिंह पोसवाल —वकील प्रार्थी
02—श्री जगदीश चन्द सतीजा —वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के प्रकरण बउनवान उमरी बनाम अंगूरी को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मु0 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वादी ने एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर में अर्न्तगत धारा 53, व 188 का प्रस्तुत किया हुआ है तथा जिस वाद में एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज० काश्त० अधि० का भी प्रस्तुत किया हुआ था जिसमें अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है तथा जिसमें दिनांक 30.5.25 की तारीख पेशी नियत है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 212 राज० काश्त०अधि० व आदेश 39 नियम 1 व 2 सी पी पी पर दिनांक 23.5.25 को बहस समाअत होकर निर्णय हेतु दिनांक 30.5.25 की नियत है। अप्रार्थीनी ने दिनांक 25.5.25 को गांव में खुले आम प्रार्थीनी को कहा कि तुम्हारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज० काश्तकारी अधि० दिनांक 30.5.25 को खारिज करवा दूंगी मेरे आदमी की एस डी ओ साहब से बातचीत हो चुकी है।

मिन प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अध्याकारी रामगढ के पीठासीन अधिकारी महोदय पर बिलकुल विश्वास नही रहा है कि वो उक्त मुकदमें में सही एवं निष्पक्ष न्याय करेगीं। तथा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीनी को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है। प्राथीनी को पूर्ण अन्देशा है कि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी प्रार्थीनी के खिलाफ निर्णय करेगें। इसलिये प्रार्थीनी अपने उक्त मुकदमा को दीगर न्यायालय में सुनवाइ हेतु मुन्तकिल करवाना चाहती है जिस हेतु यह प्रा0पत्र पेश है। न्याय का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय मिलना ही नही चाहिये बल्कि उसे लगना भी चाहिये कि उसको सही एवं निष्पक्ष न्याय मिलेगा। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण उमरी बनाम अगूंरी वगेरा दावा मुकदमा नंबर 1/549/24 एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०का०अधि० मुकदमा नंबर 2/459/24 तारीख पेशी 30.5.25 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ की न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

विद्वान वकील अप्रार्थी ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा गलत तथ्य बतलाकर वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुए एक पक्षीय स्थगन आदेश अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्राप्त किया गया हैं। जिसमें मिन प्रतिवादनी को मौका व कानून के खिलाफ पाबंद किया गया हैं। मिन प्रतिवादनी की ओर से तहत न्यायालय में दिनांक 06.05.2025 को प्रार्थी के वाद की जानकारी होने के उपरान्त अविलम्ब जवाब दावा, जवाब दरख्वास्त मय मौका मुआयना का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और स्थगन आदेश से मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी पाबंद होने के कारण मिन अप्रार्थी अविलम्ब सुनवाई में इच्छुक रहा और इसी कारण से मिन प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा वादी के दावे के संबंध में सम्पूर्ण जवाबदेही की गई।

मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी दिनांक 25.04.2025 को तहत न्यायालय में जवाबदेही तैयार करके न्यायालय में उपस्थित हुई थी, किन्तु तारीख पेशी प्रकरण में दिनांक 06.05.2025 नियत होने के कारण मिन प्रतिवादनी उखण्ड अधिकारी रामगढ के यहाँ पर दिनांक 06.05.2025 को उपस्थित होने के जवाबदेही की गई तदोपरान्त मिन प्रतिवादी/अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी रामगढ में उपस्थित नहीं हुई अपितू प्रतिवादी/अप्रार्थी के वकील उपस्थित रहे और प्रकरण हाजा में जवाबदेही/बहस समायत की गई।यह कहना गलत हैं कि मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.05.2025 को गांव में खुलेआम आवेदन पत्र खारिज कराने की धमकी दी हो अथवा यह कहा हो कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ से उनकी बात हो चुकी हैं। तमाम आरोप मिथ्या, मनगढंत महज एक पक्षीय स्थगन आदेश, जो भी प्रार्थीनी ने न्यायालय में वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुए प्राप्त किया था उस आदेश विलम्बित करने के उददेश्य से बरहा बदयांती जिमन हाजा में गलत तथ्य दर्ज किये हैं।

प्रार्थीनी द्वारा यहाँ यह गौर तलब हैं कि पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाये हैं। ऐसी परिस्थिति के अभाव में प्रार्थीनी का यह कहना कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ महोदय पर उनका विश्वास नहीं रहा तथा यह कहना भी गलत हैं कि उनके साथ सही एवं निष्पक्ष न्याय नहीं होगा, महज बेजा दबाव बनाने की गर्ज से खिलाफ कानून मौजूदा आवेदन पत्र पेश किया हैं। प्रकरण को मिथ्या आरोप लगाकर किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल का आवेदन पत्र स्वीकार करने का अभिप्राय यह होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पक्ष अपने मनमुताबिक कार्यवाही ना होने पर पीठासीन अधिकारी को आरोपित किया जाये। इस तरह की प्रवृति नैतिकता एवं कानून के उसूलो के विपरित हैं। इस आधार पर यह मौजूदा आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीनी ने आवेदन पत्र सभी तथ्य, गलत मिथ्या व असत्य दर्ज किये हैं।

अप्रार्थी/प्रतिवादी जो एक अनपढ ग्रामीण परिवेश की महिला है। उन्हे इन तथ्यो का कोई ज्ञान नहीं हैं कि अफसर से किस तरह से मिला जाता हैं तथा क्या बात की जाती हैं। जो तथ्य काबिले गौर श्रीमान हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि चरण संख्या 1 में उल्लेखित वाद न्यायालय हाजा में विचाराधिन है। चरण संख्या 2 में प्रार्थना पत्र 212 पर दिनांक 23.05.2025 को वादी/प्रतिवादी की बहस सुनी जाकर निर्णय दिनांक 30.05.2025 नियत थी। दिनांक 30.05.2025 को वादी द्वारा न्यायालय में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा निर्णय की कार्यवाही को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय होने तक स्थगित किया गया है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

चरण संख्या 3 असत्य एवं तथ्यहीन है जो कि अस्वीकार है। चरण संख्या 4 व 6 श्रीमान की अदालत के श्रवण योग्य है एवं गौर श्रीमान है। चरण संख्या 5 व 7 कानूनी है व गौर श्रीमान है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु वेबुनियाद, मनगढंत, झूठे एवं गलत हैं फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान